ON GOING SURVEY

सामान्य :–

उत्तर प्रदेश सरकार का अर्थ एवं संख्या प्रभाग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, भारत सरकार से समन्वय रखते हुए समतुल्य आधार पर वर्ष 1955 से राज्य प्रतिदर्श के रूप में सर्वेक्षण सम्पन्न कराकर विभिन्न निर्धारित समाजार्थिक विषयों से सम्बन्धित आँकडे एकत्र कर रहा है। पूर्व की भांति अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा वर्तमान में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा0प्र0स0) 75वीं आवृत्ति का सर्वेक्षण कार्य जनपदों में तैनात सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों के माध्यम से कराया जा रहा हैं। इस आवृत्ति के अन्तर्गत सर्वेक्षण अवधि 01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2018 तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है। यह सर्वेक्षण चार उपाव्त्तियों में निम्नानुसार विभक्त हैः–

प्रथम उपाव्त्ति	:	**जुलाई, 2017 – सितम्बर, 2017**
द्वितीय उपाव्त्ति	:	**अक्टूबर, 2017 – दिसम्बर, 2017**
तृतीय उपाव्त्ति	:	**जनवरी, 2018 – मार्च, 2018**
चतुर्थ उपाव्त्ति	:	**अप्रैल, 2018 – जून, 2018**

विषय व्याप्ति :–

रा0प्र0स0–75वीं आवृत्ति (जुलाई, 2017–जून, 2018) की व्याप्ति में **"परिवार उपभोक्ता व्यय", "स्वास्थ्य क्षेत्र में पारिवारिक सामाजिक उपभोग"** तथा **"शिक्षा क्षेत्र में पारिवारिक सामाजिक उपभोग" से सम्बन्धित सर्वेक्षण किया जाना है।**

उद्देश्य :–

इस आवृत्ति में पारिवार उपभोक्ता व्यय के अन्तर्गत चयनित प्रतिदर्श परिवारो से उनके पारिवारिक वस्तुओं, सेवाओं से सम्बन्धित विभिन्न मदों पर आंकड़े एकत्र करके परिवार के रहन सहन, शैक्षिक, वैवाहिक स्तर, औसत परिवार आकार, लिंगानुपात तथा प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय (Monthly Per Capita Expenditure) का आंकलन किया जाना है। उक्त के अतिरिक्त चयनित विषय स्वास्थ्य क्षेत्र में पारिवारिक सामाजिक उपभोग के अन्तर्गत पिछले 365 दिन के दौरान परिवार में हुई मृत्यु, अंतरंग रोगी को प्राप्त चिकित्सा, उस पर किया गया चिकित्सा व्यय आदि पर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर चिकित्सा सुविधाओं के स्तर व परिवार द्वारा किये गये व्यय पर आंकलन किया जाना है। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में पारिवारिक सामाजिक उपभोग के अन्तर्गत परिवार के 3 से 35 वर्ष की आयु के सदस्यों द्वारा प्राप्त सामान्य, तकनीकी शिक्षा के विभिन्न स्तरों एवं उन पर किये गये पारिवारिक व्यय के आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाना है। मुख्यतः इस आवृत्ति में सरकारी स्तर पर चलाये जा रहे विभिन्न अनुदान/कार्यक्रमों से विशेष कर

लाभान्वित दिव्यांगों एवं चिकित्सा पद्यतियों के अन्तर्गत प्राप्त सुविधाओं से सम्बन्धित निष्कर्षों का पता लगाना है।

सर्वेक्षण मे प्रयुक्त अनुसूचियॉ :–

इस आवृत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुसूचियों पर सूचना एकत्र की जा रही हैं :–

1. अनुसूची 0.0 . : परिवारो की सूची। (List of Households)
2. अनुसूची 1.0 : परिवार उपभोक्ता व्यय (Household Consumer Expenditure)
3 अनुसूची 25.0 : पारिवारिक सामाजिक उपभोगःस्वास्थ्य (Household Social Consumption: Health)
4 अनुसूची 25.2 : पारिवारिक सामाजिक उपभोगःशिक्षा (Household Social Consumption: Education)

प्रशिक्षण :

रा0प्र0स0–75वीं आवृत्ति के तकनीकी पहलुओ एवं सर्वेक्षण कार्य सम्बन्धी दिशा–निर्देशों से भिज्ञ कराने हेतु क्षेत्रीय उपनिदेशकों तथा अर्थ एवं संख्याधिकारियों की दिनांक 06 व 07 जुलाई 2017 को मुख्यालय, लखनऊ में दो दिवसीय प्रशिक्षण गोष्ठी आयोजित की गयी। इसी क्रम में दिनांक 11.07.2017 से 14.07.2017 तक मण्डल स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण गोष्ठी में अर्थ एवं संख्याधिकारी, अपर सांख्यिकीय अधिकारियों एवं सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रतिदर्श इकाइयॉ :–

रा0प्र0स0–75वीं आवृत्ति में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वेक्षण हेतु कुल 1376 प्रतिदर्श इकाईयॉ आवंटित की गयी है। उक्त आवृत्ति की आवंटित इकाईयों का सर्वेक्षण निम्न चार उपावृत्तियों में विभक्त किया गया है:–

क्र0स0	उपावृत्ति	आवंटित इकाइयाँ		योग
		ग्रामीण	नगरीय	
1	प्रथम	199	145	344
2	द्वितीय	199	145	344
3	तृतीय	199	145	344
4	चतुर्थ	199	145	344
	योग	**796**	**580**	**1376**

निरीक्षण व्यवस्था :–

रा0प्र0स0 कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जनपद में तैनात प्रत्येक अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा उपलब्धता की स्थिति में प्रत्येक माह कम से कम एक इकाई तथा मण्डलीय उपनिदेशक (अर्थ एवं संख्या) द्वारा मण्डल के प्रत्येक जनपद में उपलब्धता की स्थिति में प्रत्येक उपावृत्ति में कम से कम एक इकाई का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व निर्धारित हैं। उक्त के साथ ही मण्डलीय अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा मण्डलीय उप निदेशक की तैनाती न होने की स्थिति में उनके नार्म के अनुसार तथा मण्डलीय उप निदेशक तैनात होने की स्थिति में आवृत्ति में प्रत्येक जनपद में कम से कम एक इकाई का निरीक्षण किया जाना है। प्रभाग स्तर के अधिकारियों द्वारा भी प्रदेश के जिलों में हो रहे सर्वेक्षण कार्य का निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित रहता हैं।